छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 10–1/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 04/05/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– विलम्ब से टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड–3 को समयमान वेतन का लाभ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28 अप्रैल 2008

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए समयमान वेतन योजना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से प्रभावशील की गई है जिसके अनुसार 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् क्रमशः 8 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा 'स' वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/ शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण की है, को समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत् उच्चतर वेतनमान का लाभ देने हेतु सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाना है अथवा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से। शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने नियुक्ति उपरांत विलम्ब से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हें नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की है, को केवल

क्रमशः 2

समयमान वेतन स्वीकृत करने की दृष्टि से उनकी सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाये। इस प्रकार सेवा की गणना तथा यह लाभ अन्य किसी प्रयोजन (वरिष्ठता एवं पदोन्नति) आदि के लिये मान्य नहीं होगा।

3/ इस परिपत्र के संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 170/वि/नि./चार/2010 दिनांक 24.04.2010 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 10–1/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 04/05/2010
:–

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर,
04. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
05. सचिव, लोक सेवा आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
06. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
07. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय बिलासपुर,
08. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
09. विशेष सहायक/निज सहायक/समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
11. समस्त कोषालय अधिकारी वित्त/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
12. NIC मंत्रालय की ओर वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु प्रेषित,
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा कक्ष–9, को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु प्रेषित,
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग